F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1752 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1752

> विषय /Sub : हार्पून कंट्रोलर यूनिट, पार्ट सं.एन 101680 Harpoon Controller Unit, Part No.: N 101680

यह घोषित किया जाता है कि स्ट्रैटजिक इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एस एल आर डी सी), हैदराबाद – 500 042 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेंब्ली एंड टेस्ट डिपार्टमेंट, एवियोनिक्स प्रभाग, हैदराबाद - 500 042, द्वारा उत्पादित "हार्पून कंट्रोलर यूनिट" पार्ट सं.: एन101680 संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1752, दिनांक 16 मई 2013, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1752, जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Harpoon Controller Unit", bearing Part No.: N 101 680, design and developed by Strategic Electronics Research & Design Centre (SLRDC), Hyderabad – 500 042 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Assembly & Test Department, Avionics Division, Hyderabad – 500 042 was issued with Type Approval No.: 1752 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1752, dated: 16th May 2013 with its validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 29 फरवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), सेमिलैक, डी आर डी ओ, हैदराबाद – 500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st March 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 29th February 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), CEMILAC, DRDO, Hyderabad – 500 042 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

ਧੂਬ/Page 01 of 02

덕평/Page 02 of 02 टीएसं. /TA No.: 1752

आरसीएमए(हैदराबाद) के मांग के आधार पर, संदर्भ सं: आरसीएमए(हैदराबाद)/01-14, दिनांक 11 जुलाई 2018 द्वारा उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1752 में निम्नलिखित संशोधन लागू होता है:

The following Amendment is effected based on the request from RCMA (Hyd) vide Ref. No.: RCMA (HYD)/01-14, dated: 11th July 2018 in the subject Type Approval Number: 1752.

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1752, दिनांक 16 मई 2013 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ सं.1 में, तालिका 1 की अंतिम पंक्ति में (अस्थायी मंजूरी सं. के बाद) जोड़िए।

In Page 1 Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1752, dated: 16^{th} May 2013, add the following as last row of the Table No.: 1 (after Provisional Clearance No.):

Standard of Preparation (SOP) Document No.:

SLRDC(HAL)/ALL Avionics/ALH/SOP, Dated: 27th March 2018

संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए–1752, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC / 5070 / TA - 1752, dated: 16th May 2013 is amended as stated

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1752/1R

दिनांक/Date: 🔿 March 2019 फैक्स सं./Fax No.: 080-25230856

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)